

Tr. No. 228
20/09/18

Government of Chhattisgarh
Finance Department
Ministry, Mahanadi Bhawan, New Raipur

S.No. 296 / F 2017-41-03685 / D / R / Four

New Raipur, Dated 06 July, 2018

To,
All Govt. Departments
Chairperson, Revenue Division, Bilaspur,
All Heads of the Departments
All Divisional Commissioners
All Collectors
Chhattisgarh,

Sub: - Revision of pension / family pension of the pensioners and family pensioners retired before 01/01/2016.

State govt. has decided to revise pension / family pension payable to state pensioners / family pensioners retired before 01/01/2016.

- 1) Existing basic pension / family pension (before commutation) will be multiplied by 2.57 and rounded off to the nearest rupee, will be the revised pension. Dearness relief will not be included in Existing basic pension / family pension for above calculation. This revision should be effective from 01/04/2018.
 - 2) Amount of commutation, if any included, will be reduced from commuted amount at the time of monthly disbursement.
 - 3) Minimum amount of pension / family pension would be Rs. 7750/- per month.
 - 4) Prescribed pension for old pensioners / family pensioners would be duly arranged.
 - 5) After absorption in public sector undertakings / autonomous bodies, pension / family pension will be revised as follows in condition of getting pension / family pension separately from state govt.
 - 6) In such cases where a govt. servant has surrendered cent percent pension and drawn a lump sum amount on permanent absorption in undertaking / autonomous bodies and got the benefit of restoration of 1/3 part of his pension, decision for revision of pension / family pension will be taken separately in this regard.
-
2. Pension of those state govt. pensioners who are drawing pension / family pension from public sector banks, will be revised by pension / family pension paying branch of public sector banks and entries of payable amount will be made in both parts of pension payment order. Pension / family pension of those pensioners who are drawing pension / family pension from treasury / sub treasury, will be revised by concerned pension disbursing officer.
 3. While revising family pension, pension disbursing officer / public sector banks should check minutely that if family pension is being paid on enhanced rate even after the expiry of enhanced rate date, family pension should be paid at the normal rate and extra payment amount should be adjusted from arrears / relief.
 4. Revised pension / family pension should be paid from the pension for the month of April, 2018 (payment May, 2018). Dearness relief on pension should be paid as approved in 7th pay commission. Orders for dearness relief payable on pension / family pension have been issued separately.
 5. Test audit of 10% cases of pension / family pension revised by paying branch of public sector banks should done by divisional / district pension officer.

By the name and order of the
Governor of Chhattisgarh

(S.K. Chakravarti)
Joint Secretary

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर

पंजीकृत विशेष मूद्रा प्राधिकार

दिनांक: 3 / 08 / 2018

क्र.पी.ए./सामान्य/राहत आदेश/1461
प्रति,

- 01 वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र-5, कोषालय भवन, तीज हजारी कोर्ट काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110124
- 02 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आंध्र प्रदेश, सैफाबाद, हैदराबाद-500463
- 03 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) अरुणाचल प्रदेश, ईटा नगर-791111
- 04 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी-781029
- 05 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-॥ बिहार, पटना, बीर चंद पटेल पथ, पटना-800001
- 06 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, 'आडिट भवन', नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009
- 07 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं.-4 एवं 5, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़-160047
- 08 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैंसल बिल्डिंग, शिमला-171003
- 09 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू कश्मीर, एग्जीक्यूटिव ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर-190009
- 10 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-डोरंडा, राँची-834002
- 11 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पार्क हाउस रोड, पो.बॉ.-5329/5369 बैंगलोर-560001
- 12 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी. रोड, तिरुवनंथपुरम-695039
- 13 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-॥ मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, खालियर-474002
- 14 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन.मैरीन लाईन्स, मुंबई
- 15 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)-॥ महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर-440001
- 16 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल-795001
- 17 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलॉंग-793001
- 18 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, ऐज़वल-796001
- 19 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा-797001
- 20 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ओडीशा, भुवनेश्वर-751001
- 21 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़-160017
- 22 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर-302005
- 23 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराली पी.ओ.-टाडोंग, गंगटॉक-737102
- 24 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई-600018
- 25 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पी.आ.-कुंजाभवन, अगरतला-799006
- 26 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरांचल, देहरादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171
- 27 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तर प्रदेश, 20, सरोजिनी नाईडु मार्ग, इलाहाबाद-211001
- 28 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बंगाल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकता-700001
- 29 कन्ट्रोलर ऑफ अकाउन्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफैर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन नई दिल्ली
- 30 डाईरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स, पेंशन अनुभाग, पानाजी, गोवा
- 31 डाईरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स एवं ट्रेजरी, पांडीचेरी सरकार, पांडीचेरी
- 32 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तेलंगाना, सैफाबाद, हैदराबाद-500463

विषय: 1.दिनांक: 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण।

2.छत्तीसगढ़ राज्य के 1 जनवरी 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में।

3.सातवें वेतनमान के अंतर्गत सेवानिवृत्त/मृत राज्य शासन के पेंशनरों के महंगाई राहत की पुनरीक्षित करें।

संदर्भ: छ.ग. शासन, वित्त विभाग,मंत्रालय,महानदी भवन,नया रायपुर का पत्र क्रमांक:

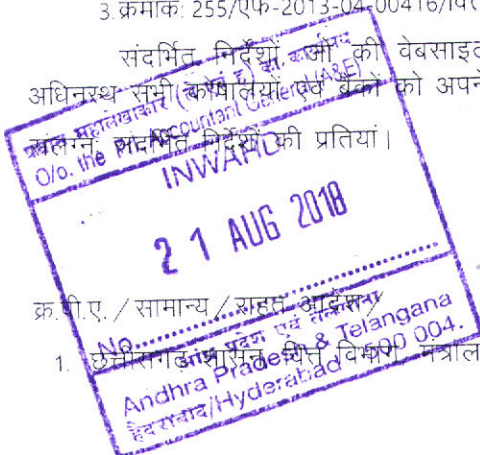
1.क्र.296/एफ 2017-41-03685/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक:06.07.2018

2.क्रमांक: 259/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक:29.05.2018

3.क्रमांक: 255/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक:29.05.2018

संदर्भित निर्देशों की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं, का पालन करने एवं अपने अधिनस्थ सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें।

अधिनस्थ निर्देशों की प्रतियां।



क्र.पी.ए./सामान्य/राहत आदेश/1461
1. छत्तीसगढ़ राज्य एवं तेलंगाना

लेखा अधिकारी/पी.ए.

दिनांक: / 08 / 2018

लेखा अधिकारी/पी.ए.

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 296/एफ 2017-41-03685/वि/नि/चार
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2018

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय:-दिनांक 1.1.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण

राज्य शासन द्वारा दिनांक 1.1.2016 के पूर्व के शासकीय पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को देय पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण का निर्णय लिया गया है। पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (1) पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण, विद्यमान मूल पेंशन (पेंशन सारांशीकरण के पूर्व)/परिवार पेंशन को 2.57 के गुणक से गुणा करके तथा इस प्रकार से प्राप्त राशि को आगामी रूपये में पूर्णांकित कर किया जायेगा। उक्त गणना हेतु विद्यमान मूल पेंशन/परिवार पेंशन में मंहगाई राहत शामिल नहीं होगी। यह पुनरीक्षण दिनांक 1.4.2018 से प्रभावी किया जाए।
- (2) पुनरीक्षित पेंशन में सारांशीकरण की राशि, यदि कोई शामिल हो तो मासिक संवितरण के समय इस राशि से सारांशीकरण की राशि को कम किया जायेगा।
- (3) पेंशन/परिवार पेंशन की न्यूनतम राशि रूपये 7750/- प्रतिमाह होगी।
- (4) वृद्ध पेंशनर/परिवार पेंशनरों के लिए निर्धारित पेंशन की वर्तमान व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।
- (5) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वशासी संस्था में स्थाई संविलियन के पश्चात् राज्य शासन से अलग से पेंशन एवं परिवार पेंशन प्राप्त होने की स्थिति में पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण उपरोक्तानुसार किया जायेगा।
- (6) ऐसे प्रकरणों में जहां शासकीय सेवक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वशासी संस्था में स्थाई संविलियन पर शत-प्रतिशत पेंशन को समर्पित करते हुए एकमुश्त राशि प्राप्त कर ली गई है तथा उसके पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन का लाभ प्राप्त हुआ है, के मामलों में पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

//2//

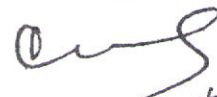
2/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से पेंशन/परिवार पेंशन आहरित कर रहे राज्य शासन के पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की पेंशन/परिवार पेंशन भुगतान शाखा (Paying Branch) द्वारा किया जावेगा तथा भुगतान योग्य राशि की प्रविष्टियाँ पेंशन भुगतान आदेश के दोनों भागों में की जावेंगी। कोषालयों/उपकोषालयों से पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण संबंधित पेंशन संवितरक अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

3/ पेंशन संवितरण अधिकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक भुगतान शाखा, परिवार पेंशन को पुनरीक्षित करते समय सूक्ष्मता से जाँच करें कि परिवार पेंशन की बढ़ी हुई दर की तिथि के बाद भी यदि भुगतान बढ़ी दर से हो रहा हो तो परिवार पेंशन का भुगतान सामान्य दर से करें तथा अधिक भुगतान राशि को एरियर्स/राहत से समायोजित करें।

4/ पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन का भुगतान माह अप्रैल 2018 की पेंशन (भुगतान मई 2018) से किया जाए। पुनरीक्षित पेंशन पर सातवें वेतनमान में स्वीकृत मंहगाई राहत दी जावे। पेंशन/परिवार पेंशन पर देय मंहगाई राहत के आदेश पृथक से जारी किए गए हैं।

5/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की भुगतान शाखा (Paying Branch) द्वारा पुनरीक्षित की गई पेंशन/परिवार पेंशन के 10 प्रतिशत प्रकरणों का test audit संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन/जिला कोषालय अधिकारी द्वारा किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

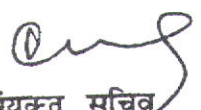

(एस.के. चक्रवर्ती) 06/02/2018
संयुक्त सचिव

पृ.क. 297/एफ 2017-41-03685/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 6 जुलाई, 2018
प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220
5. सचिव, लोक आयोग / छ.ग., लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
7. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
10. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
11. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, नया रायपुर
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
13. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
14. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग.
16. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
18. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी / पेंशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़
20. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकाऊण्ट डिपार्टमेंट्स, सी-7, बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बैग नं. 8143, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई 400051
21. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़
22. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर, गुजरात 382010
23. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
24. वित्त सचिव, असम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001
25. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001
26. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002
27. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम 695039

28. वित्त सचिव, तमिलनाडु शासन, मंत्रालय, चेन्नई 600018
29. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020
30. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर 560001
31. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर 751001
32. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
33. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003
34. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001
35. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001
36. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001
37. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001
38. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001
39. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001
40. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा 797001
41. वित्त सचिव, मेघालय शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001
42. वित्त सचिव, मिजोरम शासन, मंत्रालय, एजवाल 796001
43. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 717101
44. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून 248001
45. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004
46. वित्त सचिव, तेलंगाना शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
47. वित्त सचिव, हरियाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
48. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001
49. वित्त सचिव, गोवा दमन एवं दीव शासन, मंत्रालय पणजी, गोवा 403101
50. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, 5वीं मंजिल, सी-ब्लाक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001
51. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, राजकोट 360001
52. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463
53. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463
54. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, शिलांग 793001
55. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001
56. प्रधान महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना 800001
57. प्रधान महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा, पो. रांची 834002
58. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल, पो. बाक्स नं. 5607, तिरुवनन्तपुरम 695039
59. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
60. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
61. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कर्वे रोड, मुंबई 400020

62. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440000
 63. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बैंगलोर 560002
 64. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001
 65. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंडीगढ़ 160017
 66. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, चंडीगढ़ 160047
 67. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गौर्टन कंसल भवन शिमला 171003
 68. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग जयपुर 302001
 69. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, लखनऊ 226001
 70. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद 211001
 71. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल, ट्रेजरी बिल्डिंग, कोलकाता 700001
 72. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001
 73. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, अगरतला 799001
 74. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैण्ड, कोहिमा 797001
 75. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लाकार भवन, गंगटोक 717101
 76. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड, देहरादूर 248001
 77. संचालक, लेखा (पेशन शाखा) गोवा, दमन दीव, पोस्ट पणजी, 403101
 78. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मध्यप्रदेश ग्वालियर 474001
 79. वेतन एवं लेखाधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, पोर्टब्लेयर 744011
 80. वेतन एवं लेखाधिकारी, तीस हजारी, दिल्ली 110006
 81. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली
 82. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली
- को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु
83. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु


 संयुक्त सचिव
 वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 296/एफ 2017-41-03685/वि/नि/चार
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2018

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय:-दिनांक 1.1.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण

राज्य शासन द्वारा दिनांक 1.1.2016 के पूर्व के शासकीय पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को देय पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण का निर्णय लिया गया है। पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (1) पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण, विद्यमान मूल पेंशन (पेंशन सारांशीकरण के पूर्व)/परिवार पेंशन को 2.57 के गुणक से गुणा करके तथा इस प्रकार से प्राप्त राशि को आगामी रुपये में पूर्णांकित कर किया जायेगा। उक्त गणना हेतु विद्यमान मूल पेंशन/परिवार पेंशन में मंहगाई राहत शामिल नहीं होगी। यह पुनरीक्षण दिनांक 1.4.2018 से प्रभावी किया जाए।
- (2) पुनरीक्षित पेंशन में सारांशीकरण की राशि, यदि कोई शामिल हो तो मासिक संवितरण के समय इस राशि से सारांशीकरण की राशि को कम किया जायेगा।
- (3) पेंशन/परिवार पेंशन की न्यूनतम राशि रुपये 7750/- प्रतिमाह होगी।
- (4) वृद्ध पेंशनर/परिवार पेंशनरों के लिए निर्धारित पेंशन की वर्तमान व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।
- (5) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वशासी संस्था में स्थाई संविलियन के पश्चात् राज्य शासन से अलग से पेंशन एवं परिवार पेंशन प्राप्त होने की स्थिति में पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण उपरोक्तानुसार किया जायेगा।
- (6) ऐसे प्रकरणों में जहां शासकीय सेवक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वशासी संस्था में स्थाई संविलियन पर शत-प्रतिशत पेंशन को समर्पित करते हुए एकमुश्त राशि प्राप्त कर ली गई है तथा उसके पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन का लाभ प्राप्त हुआ है, के मामलों में पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

// 2 //

2/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से पेंशन/परिवार पेंशन आहरित कर रहे राज्य शासन के पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की पेंशन/परिवार पेंशन भुगतान शाखा (Paying Branch) द्वारा किया जावेगा तथा भुगतान योग्य राशि की प्रविष्टियाँ पेंशन भुगतान आदेश के दोनों भागों में की जावेंगी। कोषालयों/उपकोषालयों से पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण संबंधित पेंशन संवितरक अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

3/ पेंशन संवितरण अधिकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक भुगतान शाखा, परिवार पेंशन को पुनरीक्षित करते समय सूक्ष्मता से जाँच करें कि परिवार पेंशन की बढ़ी हुई दर की तिथि के बाद भी यदि भुगतान बढ़ी दर से हो रहा हो तो परिवार पेंशन का भुगतान सामान्य दर से करें तथा अधिक भुगतान राशि को एरियर्स/राहत से समायोजित करें।

4/ पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन का भुगतान माह अप्रैल 2018 की पेंशन (भुगतान मई 2018) से किया जाए। पुनरीक्षित पेंशन पर सातवें वेतनमान में स्वीकृत मंहगाई राहत दी जावे। पेंशन/परिवार पेंशन पर देय मंहगाई राहत के आदेश पृथक से जारी किए गए हैं।

5/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की भुगतान शाखा (Paying Branch) द्वारा पुनरीक्षित की गई पेंशन/परिवार पेंशन के 10 प्रतिशत प्रकरणों का test audit संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन/जिला कोषालय अधिकारी द्वारा किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एस.के. चक्रवर्ती) 06/02/2018
संयुक्त सचिव

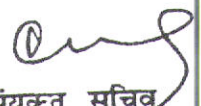
पृ.क. 297/एफ 2017-41-03685/वित्त/नियम/चार
प्रतिलिपि-

नया रायपुर, दिनांक 6 जुलाई, 2018

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हार्ड कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220
5. सचिव, लोक आयोग / छ.ग., लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
7. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
10. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
11. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, नया रायपुर
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
13. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
14. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग.
16. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
18. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी / पेंशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़
20. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकाऊण्ट डिपार्टमेंट्स, सी-7, बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बैग नं. 8143, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई 400051
21. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़
22. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर, गुजरात 382010
23. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
24. वित्त सचिव, असम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001
25. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001
26. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002
27. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम 695039

28. वित्त सचिव, तमिलनाडु शासन, मंत्रालय, चेन्नई 600018
29. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020
30. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर 560001
31. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर 751001
32. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
33. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003
34. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001
35. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001
36. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001
37. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001
38. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001
39. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001
40. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा 797001
41. वित्त सचिव, मेघालय शासन, मंत्रालय, शिलोंग 793001
42. वित्त सचिव, मिजोरम शासन, मंत्रालय, एजवाल 796001
43. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 717101
44. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून 248001
45. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004
46. वित्त सचिव, तेलंगाना शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
47. वित्त सचिव, हरियाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
48. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001
49. वित्त सचिव, गोवा दमन एवं दीव शासन, मंत्रालय पणजी, गोवा 403101
50. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, 5वीं मंजिल, सी-ब्लाक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001
51. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, राजकोट 360001
52. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463
53. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463
54. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, शिलोंग 793001
55. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001
56. प्रधान महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना 800001
57. प्रधान महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा, पो. रांची 834002
58. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल, पो. बाक्स नं. 5607, तिरुवनन्तपुरम 695039
59. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
60. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
61. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कर्वे रोड, मुंबई 400020

62. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440000
63. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बैंगलोर 560002
64. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001
65. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंडीगढ़ 160017
66. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, चंडीगढ़ 160047
67. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गौर्टन कंसल भवन शिमला 171003
68. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग जयपुर 302001
69. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, लखनऊ 226001
70. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद 211001
71. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल, ट्रेजरी विल्डिंग, कोलकाता 700001
72. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001
73. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, अगरतला 799001
74. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैण्ड, कोहिमा 797001
75. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लाकार भवन, गंगटोक 717101
76. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड, देहरादूर 248001
77. संचालक, लेखा (पेशन शाखा) गोवा, दमन दीव, पोस्ट पणजी, 403101
78. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मध्यप्रदेश ग्वालियर 474001
79. वेतन एवं लेखाधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, पोर्टब्लेयर 744011
80. वेतन एवं लेखाधिकारी, तीस हजारी, दिल्ली 110006
81. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली
82. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली
83. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु


 संयुक्त सचिव
 वित्त विभाग

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE DEPARTMENT
MANTRALAYA, MAHANADI BHAVAN, NAYA RAIPUR

No. 255 /F-2013-04-00416/Fin./Rule/IV.

Naya Raipur, Dated 29 May, 2018

To,

All Department of Government
The President of Board of Revenue, Bilaspur
All Heads of Department
All Commissioners of Divisions
All Collectors
Chhattisgarh.

**Sub - Revised rate of dearness relief to State Government pensioners
retired/died in Seventh pay scale**

The State Government had sanctioned 4% dearness relief w.e.f. 01.01.2017 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. 505/F 2013-04-00416/Fin./Rule/IV, dated 13 December 2017. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension payable to old pensioners shall also qualify for dearness relief.

Date from which payable	Rate of Dearness Relief per month
From 01.07.2017	5% of Basic Pension/Family Pension

2. The amount of enhanced dearness relief shall be paid in cash from the pension of May 2018 (Payable on June 2018). Decision regarding payment of arrear shall be taken separately.

3. The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No. F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76. The dearness relief on the pension/family pension shall not be payable in the cases where the pensioner/family pensioners are appointed/re-appointed

under the State Government or autonomous institutions. This relief on family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was in service and was not appointed on compassionate grounds." This relief on family pension shall not be payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been appointed on compassionate grounds. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo No. F.B.6/10/76/R-II/IV, dated 27-7-76 read with Memo No. F.B.6/10/77/R-II/IV, dated 2-5-77 and Memo No. 211/379/F/R/IV/2007, dated 24-7-2007.

4. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

5. Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No. E-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh


(S. K. Chakraborty)
Joint Secretary

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोंदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220
5. सचिव, लोक आयोग/छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग / राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त) मंत्रालय, नया रायपुर
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ
9. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
10. प्रमुख सचिव, वित्त के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, नया रायपुर
11. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, नया रायपुर
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
14. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
15. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग.
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी /पेंशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़
21. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकाऊण्ट डिपार्टमेंट, सी-7 बान्द्रा, कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बाक्स न. (पूर्व) मुंबई
22. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़
23. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर 382010
24. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
25. वित्त सचिव, आसाम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001
26. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001
27. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002
28. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम 695039
29. वित्त सचिव, तमिलनाडू शासन, मंत्रालय, चेन्नई 600018
30. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020
31. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर 560001
32. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर 751001
33. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
34. वित्त सचिव, हरियाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
35. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003

36. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001
37. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001
38. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001
39. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001.
40. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001
41. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001
42. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा 797001
43. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001
44. वित्त सचिव, गोवा दीव एवं दमन शासन, मंत्रालय पणजी गोवा 403101
45. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 717101
46. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून 248001
47. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004
48. महालेखाकार (लेखा/हक.) गुजरात, 5वीं मंजिल सी-ब्लाक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001
49. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, राजकोट 360001
50. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463
51. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463
52. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, शिलांग 793001
53. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001
54. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद्र पटेल मार्ग पटना 800001
55. प्रधान महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, झोरण्डा पो. रांची 834002
56. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल पो. बाक्स न. 5607, तिरुवनन्तपुरम 695039
57. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018
58. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018
59. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई 400020
60. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001
61. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बेंगलूर 560002
62. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001
63. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंडीगढ़ 160017
64. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, चंडीगढ़ 160047
65. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गौर्टन कंसल भवन शिमला 171003
66. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग, जयपुर 302001
67. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, लखनऊ 226001
68. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद 211001
69. प्रमुख महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल, ट्रेजरी बिल्डिंग कोलकाता 700001
70. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001
71. वरिष्ठ महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, अगरतला 799001
72. वरिष्ठ उप महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) नागालैण्ड, कोहिमा 797001
73. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम लाकार भवन गंगटोक 717101
74. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन दीव पोस्ट पणजी गोवा 403101
75. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड, देहरादूर 248001
76. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन द्वीव, पो. पणजी 403101

77. वेतन एवं लेखा अधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, पोर्टब्लेयर 744011
78. वेतन एवं लेखा अधिकारी क्रमांक 5 (पेंशन) तीस हजारी, दिल्ली 110006
79. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली 110001
80. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली 110001
81. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ग्वालियर, मध्यप्रदेश
82. संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
83. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(अतुल कुलश्रेष्ठ)
शोध अधिकारी

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 259/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार

नया रायपुर, दिनांक 29 मई, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग

अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर

समस्त विभागाध्यक्ष

समस्त संभागायुक्त

समस्त कलेक्टर

छत्तीसगढ़

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य के 1 जनवरी 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 285/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 21 जून, 2017 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.01.2017 से 136 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है।

राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की जाये। वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01-07-2017 से	पेंशन/परिवार पेंशन का 139 प्रतिशत

2/ बड़े हुए मंहगाई राहत की राशि का माह मई, 2018 के पेंशन (जून 2018 को भुगतान योग्य) से नगद भुगतान किया जाएगा। एरियर भुगतान पर पृथक से निर्णय लिया जाएगा।

3/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के

अर्धीन देय होगी । ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भागी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/ पुनर्नियुक्त हैं, वहां पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में हैं और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी । यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपटित ज्ञापन एफ.बी. 6/10/77/नि -2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 24-7-2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी ।

5/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 144/97/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 5-6-2007 के अन्तर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गये हैं ।

6/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपये के अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा ।

7/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/ पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें । भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर मंहगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये । यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती)

संयुक्त सचिव

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE DEPARTMENT
MANTRALAYA, MAHANADI BHAVAN, NAYA RAIPUR

No.259/F-2013-04-00416/Fin./Rule/IV, Naya Raipur, Dated 29 May, 2018

To,

All Department of Government
The President of Board of Revenue, Bilaspur
All Heads of Department
All Commissioners of Divisions
All Collectors
Chhattisgarh.

Sub - Sanction of dearness relief on the Pension of the Pensioners of the State of Chhattisgarh retired/died before 1st January 2016

The State Government had sanctioned 136 % dearness relief w.e.f. 01-01-2017 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. 285/F-2013-04-00416/Fin./Rule/IV, dated 21 June, 2017. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension payable to old pensioners shall also qualify for dearness relief.

Period	Rate of Dearness relief per month
w.e.f. 01-07-2017	139% of Pension/family pension

2. The amount of enhanced dearness relief shall be paid in cash from the pension of May 2018 (Payable on June 2018). Decision regarding payment of arrear shall be taken separately.

3. The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No. F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76. The dearness relief on the pension/family pension shall not be payable in the cases where the pensioner/family pensioners are appointed/re-appointed under the State Government or autonomous institutions. This relief on family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was in service and was not appointed on compassionate grounds. This relief on family pension shall not be

payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been appointed on compassionate grounds. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo No. F.B.6/10/76/R-II/IV, dated 27-7-76 read with Memo No. F.B.6/10/77/R-II/IV, dated 2-5-77 and Memo No. 211/379/F/R/IV/2007, dated 24-7-2007.

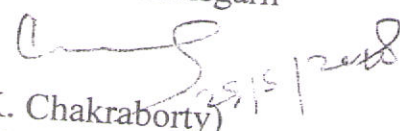
4. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

5. This order shall be applicable in respect of State Government employees who had drawn lump sum amount on absorption in PSU/Autonomous body/Board/Corporation etc and have become eligible to restoration of 1/3rd commuted portion of pension in terms of this Department's Memo No. 144/97/F/R/IV/2007, dated 05-06-2007.

6. Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

7. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No. E-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

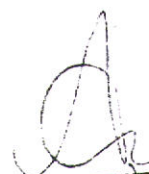
By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh


(S.K. Chakraborty)
Joint Secretary

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220
5. सचिव, लोक आयोग / छ.ग., लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
7. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
10. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
11. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, नया रायपुर
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
13. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
14. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग.
16. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
18. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी / पेंशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़
20. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकाऊण्ट डिपार्टमेंट्स, सी-7, बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बैग नं. 8143, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई 400051
21. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़
22. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर, गुजरात 382010
23. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
24. वित्त सचिव, असम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001
25. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001
26. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002
27. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम 695039

28. वित्त सचिव, तमिलनाडु शासन, मंत्रालय, चेन्नई 600018
29. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020
30. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर 560001
31. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर 751001
32. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
33. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003
34. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001
35. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001
36. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001
37. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001
38. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001
39. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001
40. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा 797001
41. वित्त सचिव, मेघालय शासन, मंत्रालय, शिलोंग 793001
42. वित्त सचिव, मिजोरम शासन, मंत्रालय, एजवाल 796001
43. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 717101
44. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून 248001
45. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004
46. वित्त सचिव, तेलंगाना शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
47. वित्त सचिव, हरियाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
48. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001
49. वित्त सचिव, गोवा दमन एवं दीव शासन, मंत्रालय पणजी, गोवा 403101
50. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, 5वीं मंजिल, सी-ब्लॉक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001
51. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, राजकोट 360001
52. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463
53. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463
54. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, शिलांग 793001
55. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001
56. प्रधान महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना 800001
57. प्रधान महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा, पो. रांची 834002
58. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल, पो. बाक्स नं. 5607, तिरुवनन्तपुरम 695039
59. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
60. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
61. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कर्वे रोड, मुंबई 400020

62. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440000
63. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रंसीडेंसी पार्क रोड, बैंगलोर 560002
64. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001
65. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंडीगढ़ 160017
66. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, चंडीगढ़ 160047
67. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गौर्टन कंसल भवन शिमला 171003
68. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग जयपुर 302001
69. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, लखनऊ 226001
70. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद 211001
71. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल, ट्रेजरी विल्डिंग, कोलकाता 700001
72. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001
73. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, अगरतला 799001
74. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैण्ड, कोहिमा 797001
75. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लाकार भवन, गंगटोक 717101
76. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड, देहरादूर 248001
77. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा, दमन दीव, पोस्ट पणजी, 403101
78. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मध्यप्रदेश ग्वालियर 474001
79. वेतन एवं लेखाधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, पोर्टब्लेयर 744011
80. वेतन एवं लेखाधिकारी, तीस हजारी, दिल्ली 110006
81. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली
82. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली
83. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु
-----को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु


 (अतुल कुलश्रेष्ठ)
 शोध अधिकारी

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 255/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 29 मई, 2018
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- सातवें वेतनमान के अंतर्गत सेवानिवृत्त/मृत राज्य शासन के पेंशनरों के मंहगाई राहत की पुनरीक्षित दरें

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 505/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.01.2017 से 4 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है।

2/ राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की जाये। वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी:-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01-07-2017 से	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 5%

3/ बड़े हुए मंहगाई राहत की राशि का माह मई, 2018 के पेंशन (जून 2018 को भुगतान योग्य) से नगद भुगतान किया जाएगा। एरियर भुगतान पर पृथक से निर्णय लिया जाएगा।

4/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के

अधीन देय होगी। ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/ पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी.6/10/77/नि-2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 24-7-2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

5/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

6/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपये के अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

7/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/ पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान करे। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर मंहगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये। यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती)

संयुक्त सचिव